न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 48/2023–24 तारीख दायर :–18.03.2024 दिनांक निर्णय :–30.04.2024

पटवारी हल्का सूरेर तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान। MemoNo-2024/10

बनाम

गोकलराम पुत्र नारायण जाति मीना निवासी ग्राम गोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सुरेर द्वारा राजस्व ग्राम गोठ के आराजी खसरा नम्बर 171/1132 रकबा 0.35 हैक्ट0 किस्म सिवायचक के भाग 0.05 हैक्ट0 पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने पर गोकलराम पुत्र नारायण जाति मीना निवासी गोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त हुई। नियत सुनवाई तारीख को गैरसायल/अप्राथी उपस्थित रहा। गैरसायल द्वारा कोई नोटिस जवाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थी को नोटिस जवाब एंव साक्ष्य सबूत हेतु समय दिये जाने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया। भू0अ0निरीक्षक नीमला व पटवारी हल्का सुरेर की रिपोर्ट सम्वत 2080 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा सिवायचक की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी गोकलराम पुत्र नारायण जाति मीना निवासी गोठ तहसील राजगढ जिला अलवर वाके ग्राम गोठ के आराजी खसरा नम्बर 171/1132 रकबा 0.35 हैक्ट0 किस्म सिवायचक के भाग 0.05 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है; तथा सरह लगान 1 (0.10 का पूर्णाक) की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों नीमला एंव पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 30.04.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 59 पर सि-च. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार